न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 07/2019/अपील/आर्म्स/झालावाड
दायरा दिनांक 20.05.2019
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

बद्रीलाल आत्मज लटूरलाल जाति जाट नि0 शिवशक्ति का खेडा थाना सदर बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बून्दी (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रमेश कुमार कहार अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 229 दिनांक 18.10..2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपीलांट को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 1162/न्याय/1993 जिस पर 12 डी.बी.बी. एल गन नं. 9585–ए/7 धारित है। जो दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत होने से नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.11.2015 को आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 164 दिंनाक 04.01.2016 से अनुज्ञाधारी के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकृत नही किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश कमांक 63 दिनांक 20.04.2016 से अनुज्ञा पत्र रिवोक किया गया। उक्त आदेश दिनांक 20.4.2016 की अपील न्यायालय हाजा में किये जाने पर अपील सं0 33/16 मे पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या 63 दिनांक 20.4.2016 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय मे उल्लेखित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी से पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रांक 2559 दिनांक 29.3.2017 से प्रेषित जांच रिपोर्ट मे अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्व 1. मुकदमा सं. 208/94 धारा 430 आईपीसी, 2. मुकदमा सं. 127/96 धारा 147,148,149,323 आईपीसी, 3. मुकदमा सं. 211/02 धारा 147,148,323,307 आईपीसी में दर्ज होना अवगत कराते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकृत नही करने की अनुशंषा की । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.4.2017 को अपीलार्थी/प्रार्थी को सुना गया। अपीलार्थी/ प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के निर्णयों की नकले पेश कर रिपोर्ट मे अंकित प्रकरण काफी पुराने होना तथा उन प्रकरणो मे बरी हो जाना व लाईसेन्स 2006 से लगातार 31.12.2015 तक नवीनीकरण होना वर्णित करते हुये आगामी अवधि के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकृत करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के जवाब की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हुये प्रकरण मे पुनः रिपोर्ट प्राप्त की, जो पत्र क्रमांक 7824 दिनाक 13.9.2017 से प्राप्त हुई। जिसके अनुसार मुकदमा सं. 208/94 धारा 430 आईपीसी में बरी करना एवं प्रकरण स0 211/02 धारा 147,148,2,323,307 आईपीसी में माननीय न्यायालय से सजा दिया जाना वर्णित करते हुये धारित अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश संख्या 229 दिनांक 18.10.2017 से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1162/93 पुनः तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय/आदेश गुणावगुण पर आधारित नही है। प्रकरण सं0 208/94 मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 30.11.1996 से बरी किया गया तथा प्रकरण सं0 211/02 मे निर्णय दिनांक 18.12.2004 से अपीलार्थी को 3000/– रू. के परिशांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था उक्त तथ्यों की जानकारी पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नही कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यो का विवेचन नही किया। अपीलार्थी आपराधिक, राजनैतिक गतिविधियो मे शामिल नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सं0 229 दिनांक 18.10.2017 निरस्त कर प्रकरण मे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दस्तावेजात का परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड करने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि जेरअपील निर्णय/आदेश गुणावगुण पर आधारित नही है। अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञापत्र वर्ष 2006 से लगातार दि0 31.12.2015 तक नवीनीकरण होता रहा है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित प्रकरण सं0 208/94 मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 30.11.1996 से बरी किया जाना तथा प्रकरण स0 211/02 धारा 147,148,2,323,307 आईपीसी में माननीय न्यायालय से सजा दिया जाना वर्णित करते हुये धारित अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। जबकि प्रकरण सं0 211/02 मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.12.2004 से अपीलार्थी को 3000/– रू. के परिशांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था उक्त तथ्यों की जानकारी पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नही कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यो का जेरअपील आदेश मे विवेचन नही किया। अपीलार्थी आपराधिक, राजनैतिक गतिविधियो मे शामिल नही है। उक्त प्रकरण काफी पुराने है जिनका निर्णय हो चुका है ऐसी स्थिति मे लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने मे कोई कानूनी बाधा नही है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सुनकर तथा दस्तावेजात का परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे। xx

4 विद्वान राजस्कीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 7824 दिनांक 13.9.2017 अनुसार अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा के आधार पर जेरअपील आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1162/93 दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण हो रहा है। जिन आपराधिक प्रकरण के आधार पर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा आगामी अवधि के लिये लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई है वह क्रमशः वर्ष 1994 व वर्ष 2002 के है तथा प्रकरण सं0 211/02 मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 7824 दिनांक 13.9.2017 मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सजा दी जाना वर्णित करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि उक्त प्रकरण काफी पुराने है तथा उसके पश्चात अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी को प्रकरण सं0 211/02 मे सजायाब नही किया गया बल्कि प्रकरण सं0 211/02 मे अपीलार्थी को 3000/–रू. के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

परिशांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था उक्त तथ्यों की जानकारी पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नही कराई गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण काफी पुराने है तथा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत है। प्रकरण सं0 211/02 के संबध मे अपीलार्थी का कथन रहा है कि उसको 3000/– रूपये के जमानत मुचलके पर पाबन्द किया गया था पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त तथ्यों को रिपोर्ट मे अंकित नही कर नजरअंदाज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के पत्र कमांक 4110 दिनांक 2.5.2017 से अपीलांट के कथन की पुष्टि होती है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक 7824 दिनांक 13.9.2017 मे उक्त तथ्यों को वर्णित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी जेरअपील आदेश दिनांक 18.10.2017 मे उक्त तथ्यों को विवेचित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अन्य ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे लोक शाति व लोक सुरक्षा के दृष्टिगत अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना आवश्यक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना ही पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानते हुये जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण में विभिन्न मुकदमो में हुए निर्णय व अन्य विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी के आगामी अवधि के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थी के विरूद्व न्यायालयों में विचाराधीन रहे वादो में हुए निर्णयो , प्रार्थी के चालचलन व शस्त्र की सद्भाविक आवश्यकता के मध्यनजर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा